



प्रेसनोट, दिनांक 15.08.2025
थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।

ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से फ्रॉड कर निकाली गई धनराशि पीड़ित के खाते में कराई गई रिफण्ड

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से फ्रॉड कर निकाली गई 43000/- ₹0 की धनराशि थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा पीड़ित के खाते में रिफण्ड कराई गई।

संक्षिप्त विवरण- आवेदक मधुशुदन शर्मा पुत्र नरेश चन्द्र शर्मा नि० 20/42 बिन्दा नगर पोनी रोड शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा साइबर पोर्टल पर ऑनलाइन प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 14.04.2025 को ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 48985/- ₹0 का साइबर फ्रॉड होने विषयक दिया गया था। जिसमें दिनांक 27.07.2025 को 48985/- ₹0 में से 30000/- ₹0 वापस कराया जा चुका है, तथा आज दिनांक 15.08.2025 को थाना गंगाघाट उन्नाव की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉड की गयी 13000/- ₹0 की धनराशि आवेदक के खाते में रिफण्ड करायी गई।

कार्यवाही करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार मिश्रा
2. अति० निरी० फूल सिंह
3. क० आ० पंकज कुमार
4. महिला आरक्षी समरीन बानो



प्रेसनोट, दिनांक 15.08.2025
थाना असोहा, जनपद उन्नाव ।

नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना असोहा पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 11.08.2025 को वादी की तहरीर पर थाना असोहा पर मु0अ0सं0 157/25 धारा 137(2),87 B.N.S. पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 15.08.2025 को उ0नि0 श्री राघवेन्द्र अग्निहोत्री मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्त निर्मल कुमार पुत्र लल्लन निवासी ग्राम डन्डनापुर मजरा पिपरी थाना असोहा जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष को चन्दनखेडा चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

निर्मल कुमार पुत्र लल्लन निवासी ग्राम डन्डनापुर मजरा पिपरी थाना असोहा जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1 उ0नि0 श्री राघवेन्द्र अग्निहोत्री
2. का0 शनि कुमार
3. का0 राहुल कुमार





प्रेसनोट, दिनांक 15.08.2025
थाना अजगैन, जनपद उन्नाव ।

कच्ची देशी शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 30 अदद प्लास्टिक पाउच अवैध कच्ची देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 15.08.2025 को उ०नि० कल्लन मय हमराह पुलिस बल व आबकारी टीम द्वारा अभि० दिनेश उर्फ साधू पुत्र श्रीपाल नि० ग्राम लुधौरा मजरा कुसुंभी थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष के कब्जे से एक प्लास्टिक के झोले में 30 अदद प्लास्टिक पाउच अवैध कच्ची देशी शराब के साथ ग्राम लुधौरा नहर पुलिया रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अजगैन पर मु०अ०सं० 334/25 धारा 60 EX ACT पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त-

दिनेश उर्फ साधू पुत्र श्रीपाल नि० ग्राम लुधौरा मजरा कुसुंभी थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी - एक प्लास्टिक के झोले में 30 अदद प्लास्टिक पाउच अवैध कच्ची देशी शराब।

आपराधिक इतिहास: -

1. मु०अ०सं० 334/25 धारा 60 EX ACT थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
2. मु०अ०सं० 247/24 धारा 60 EX ACT थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
3. मु०अ०सं० 99/21 धारा 60 EX ACT थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
4. मु०अ०सं० 206/20 धारा 60 EX ACT थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
5. मु०अ०सं० 374/15 धारा 60/60(A)/60(B) /60(C) EX ACT व 272 भादवि थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
6. मु०अ०सं० 365/22 धारा 8/20 NDPS ACT थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
7. मु०अ०सं० 100/22 धारा 60 EX ACT थाना अजगैन जनपद उन्नाव।

8. मु0अ0सं0 220/23 धारा 60 EX ACT थाना अजगैन जनपद उन्नाव ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1 उ0नि0 कल्लन थाना अजगैन जिला उन्नाव
2. का0 पुष्पेन्द्र सिंह थाना अजगैन जिला उन्नाव
3. का0 योगेश दहिया थाना अजगैन जिला उन्नाव
4. आबकारी निरीक्षक श्रीमती ज्योति अग्रवाल क्षेत्र 2 हसनगंज जिला उन्नाव
5. प्रधान आबकारी सिपाही राम प्रकाश दीक्षित क्षेत्र 2 हसनगंज जिला उन्नाव
6. प्रधान आबकारी सिपाही अविनाश कुमार क्षेत्र 2 हसनगंज जिला उन्नाव
7. आबकारी सिपाही धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव क्षेत्र 2 हसनगंज जिला उन्नाव
8. आबकारी सिपाही विनय कुमार क्षेत्र 2 हसनगंज जिला उन्नाव

